:: आदेश ::

भारत मौसम विज्ञान केन्द्र देहरादून, द्वारा 12.09.2024 को प्रातः 10:30 बजे जारी पूर्वनुमान के अनुसार दिनांक 12 सितम्बर 2024 को उत्तराखण्ड के जनपद चमोली, देहरादून, पौड़ी, **पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा चम्पावत नैनीताल, उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार एवं दिनांक 13 सितम्बर 2024 को उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार में कही–कहीं बहुत भारी से अत्यन्त भारी वर्षा/कुछ जगह भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कहीं–कहीं बहुत गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने/वर्षा के अति तीव्र दौर होने की सम्भावना व्यक्त की गई है,** पूर्वानुमान के अनुसार **दिनांक 12.09.2024 से 13.09.2024 तक** जिले में लगातार अतिवृष्टि के कारण विभिन्न प्रकार की आपदायें यथा भूस्खलन,त्वरित बाढ़,बोल्डर गिरना, जल भराव,सड़क मार्ग बन्द आदि, घटनायें घटित हो सकती है किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने सम्भावना के दृष्टिगत रखते हुए सम्भावित दृष्टिकोण से जनपद के समस्त शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालयों (**कक्षा 01 से 12 तक**) संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 13.09.2024 को **01 दिवसीय अवकाश** घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः मौसम विभाग, द्वारा जारी चेतावनी को देखते हुए **दिनांक 13 सितम्बर 2024** को जनपद अल्मोड़ा क्षेत्रान्तर्गत समस्त शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालयों (**कक्षा 01 से 12 तक**) संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में **01 दिवसीय अवकाश** घोषित किया जाता है।

विचलन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

ह0–

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जनपद अपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अल्मोड़ा।
दूरभाष सं0:– 05962-237874/237875/मो0न0 7900433294 ईमेल–ddmo.alm@gmail.com

संख्या–1750/ आ0प्रब0प्राधि0/मौ0चेता0/2024–25 दिनांक 12 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकितों को सूचानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।
2. संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत।
3. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद अल्मोड़ा।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा, को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश का जनपद क्षेत्रान्तर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवायें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक) अल्मोड़ा।
6. जिला कार्यक्रम एवं बाल विकास अधिकारी,अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश का जनपद क्षेत्रान्तर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवायें।
7. जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रसारर्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
अल्मोड़ा।